RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Criminal Leave To Appeal No. 146/2024

State of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Appellant

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Versus

1. Ramkesh Son of Kajodmal, Resident of Deeng Ki Dhani Chapdia, Police Thana Tunga, District Jaipur
2. Mukesh Kumar Son of Lalluram, Resident of Bad Rampura, Tehsil Bassi, District Jaipur

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Rajesh Choudhary, GA-cum-AAG
Mr. Vivek Sharma, Addl.G.A.
Mr. Naresh Kumar Gupta, Dy.G.A.
Ms. Neha Goyal

For Respondent(s) : Mr. Ritesh Jain, Adv.
Mr. Sudhir Kumar Jain, Adv.
Ms. Poonam Mishra, Adv.
Dr. Ramdeo Arya, Adv.
Mr. Ravindra Singh Shekhawat, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE MAHENDAR KUMAR GOYAL
HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Judgment

1. Date of conclusion of arguments : 09/12/2025

2. Date on which the judgment was reserved : 09/12/2025

3. Whether the full judgment or only the operative part is pronounced : Full judgment

4. Date of pronouncement : 11/12/2025

(PER HON'BLE BHUWAN GOYAL, J.)

1. अपीलार्थी–राज्य सरकार द्वारा हस्तगत अपील अनुमति याचिका, अन्तर्गत धारा 378 (i)(iii) दं.प्र.सं. (धारा 419 (i)(iii) बी.एन.एस.एस.) के तहत विद्वान विचारण न्यायालय– विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, दौसा, जिला दौसा (राज.)

(Uploaded on 11/12/2025 at 01:17:22 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:16:53 AM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

के द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 31/2017, उनवानी प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम रामकेश वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 29.03.2023, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 323, 307, 302 अथवा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरापों में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.09.2014 को परिवादी रामकरण मीणा (पी.ड.–1) के द्वारा एक रिपोर्ट प्रदर्श पी.–1 पुलिस थाना लवाण में इस आशय की प्रस्तुत की गई कि दिनांक 20.09.2014 को सायं 7.30 बजे के करीब उसका छोटा भाई कृष्ण कुमार व उसके साथी मुकेश मीणा निवासी बिराजपुरा एवं मुकेश मीणा निवासी शिवदासपुरा, लवाण में पानी की टंकी के पास ढाबे पर खाना खा रहे थे, तो उसी समय उनके पास रामकेश मीणा, हनुमान मीणा व मुकेश नाई एक बोलेरो नम्बर आर.जे.–14–यू.डी.–5017 लेकर आये तथा जान से मारने की धमकी व गाली–गलौच करने लगे तथा कृष्ण कुमार को गालियां निकालने लग गये, इसके बाद उसका भाई कृष्ण कुमार उसके साथी मुकेश मीणा निवासी बिराजपुरा व मुकेश मीणा शिवदासपुरा के साथ उनकी मोटरसाईकिल से बस्सी के लिए रवाना हो गये, जब वे ढाबे से 02 किलोमीटर आगे देवरी के आगे पहुंचे तो उसी समय पीछे से रामकेश मीणा व उसके साथी उनकी बोलेरो गाडी नम्बर आर.जे.–14–यू.डी.–5017 को लेकर आये तथा उसके भाई कृष्ण कुमार व उसके साथियों को जान से मारने के लिए उनके टक्कर मार दी तथा टक्कर मार कर गाडी को भगा कर ले गये, जिससे उसके भाई कृष्ण कुमार व उसके साथियों के शरीर पर गम्भीर रूप से चोटें आयी, जिन्हें मौके से पुलिस ने उठा कर जयपुर एस.एम.एस. अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसके भाई की हालत गम्भीर बनी हुई है तथा उसे अब तक होश नहीं आया है.....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना लवाण, जिला दौसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 93/2014 अन्तर्गत धारा 323, 307, 34 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, दौराने अनुसंधान कृष्ण कुमार की

(Uploaded on 11/12/2025 at 01:17:22 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:16:53 AM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

मृत्यु होने पर प्रकरण में धारा 302 भा.दं.सं. का अपराध जोडा जाकर, बाद अनुसंधान अभियुक्तगण रामकेश व मुकेश कुमार के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 307, 302, 34 भा.दं.स. में आरोप पत्र अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर विद्वान न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर मामला सैशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उसे सैशन न्यायालय को उपांतरित किया गया, जो कालान्तर में वास्ते निस्तारण विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, दौसा, जिला दौसा (राज.) को प्राप्त हुआ।

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने बहस चार्ज सुनकर प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 323, 307, 302 अथवा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराधों का आरोप पृथक–पृथक विरचित कर उन्हें सुनाया व समझाया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी.डब्ल्यू.–1 लगायत पी.डब्ल्यू.–19 के बयान लेखबद्ध करवाये एवं मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–21 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् अभियुक्तगण को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान के द्वारा उनके विरूद्ध गलत साक्ष्य देना कथन किया तथा साक्ष्य सफाई में गवाह डी.ड.–1 पांचूराम को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी.–1 लगायत प्रदर्श डी.–5 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तत्पश्चात उभयपक्षों को सुना जाकर आलौच्य निर्णय दिनांक 29.03.2023 द्वारा प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 323, 307, 302 अथवा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी–राज्य सरकार द्वारा प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण को उक्त आरोपित अपराधों में दण्डित करने हेतु हस्तगत अपील अनुमति याचिका प्रस्तुत की गई है।

(Uploaded on 11/12/2025 at 01:17:22 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:16:53 AM)

7. बहस ग्रहणार्थ सुनी जाकर पत्रावली का मय अभिलेख सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा, मृतक कृष्ण कुमार व उसके साथियों को जान से मारने की नियत से उनकी मोटरसाईकिल के टक्कर मारकर उनकी हत्या का प्रयत्न करना, उक्त टक्कर के परिणामस्वरूप आयी चोटों के कारण, कृष्ण कुमार की मृत्यु होना एवं अन्य आहतगण के चोटें आना पूर्ण रूप से प्रमाणित हुआ है, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का सुक्ष्मता एवं गहनता से विवेचन किए बिना आलौच्य आदेश दिनांक 29.03.2023 पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है, अतः अपील अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए करते हुए प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर दण्डित किया जावे।

9. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण का संयुक्त रूप से कथन है कि प्रस्तुत मामले में परिवादी पक्ष द्वारा, प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की गयी थी एवं उनके द्वारा पैसे देने से मना करने पर उनकी गाडी में तोडफोड की गयी थी एवं फिर मोटरसाईकिल पर जाते वक्त उनका स्वयं का वाहन स्लीप होने से उन्हें चोटें आयी थी, जिसकी पुष्टि हस्तगत प्रकरण में अस्पताल के रिकॉर्ड एवं डॉक्टर सुमन्त दत्ता के कथनों से हुई है, प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष की मोटरसाईकिल को ना तो टक्कर मारी गई है, ना ही उनके साथ गाली–गलौच एवं मारपीट की गई है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में परिवादी पक्ष की साक्ष्य से घटना दिनांक 20.09.2014 को उन्हें घटनास्थल से पुलिस द्वारा उठाकर अस्पताल ले जाना प्रकट हुआ है, किन्तु परिवादी पक्ष की ओर से तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाकर 48 घण्टे बाद झूठी रिपोर्ट मोटर क्लेम लेने हेतु दर्ज करवायी गयी है। उनका यह भी कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2023 में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है एवं उक्त आदेश

(Uploaded on 11/12/2025 at 01:17:22 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:16:53 AM)

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का गहनता व सूक्ष्मता से विश्लेषण कर पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अतः अपील अनुमति याचिका, अपीलार्थी–राज्य सरकार अस्वीकार कर खारिज की जावे।

10. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष का यह केस रहा है कि दिनांक 20.09.2014 को सायं 7.30 बजे पानी की टंकी के पास लवाण स्थित ढाबे पर, प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण ने कृष्ण कुमार एवं उसके साथी मुकेश मीणा निवासी बिराजपुरा एवं मुकेश मीणा निवासी शिवदासपुरा के साथ धक्का–मुक्की की एवं फिर ढाबे से 02 किलोमीटर आगे उनकी मोटरसाईकिल के बोलेरो गाडी नम्बर आर.जे.–14–यू.डी.–5017 से टक्कर मारकर उपहति कारित कर उनकी हत्या का प्रयत्न किया एवं उक्त टक्कर के परिणामस्वरूप आयी चोटों के कारण, कृष्ण कुमार की मृत्यु कारित हुई?

11. हस्तगत प्रकरण में पानी की टंकी के पास, लवाण स्थित ढाबे पर मृतक कृष्ण कुमार एवं उसके साथियों के साथ धक्का–मुक्की एवं मारपीट होने के संदर्भ में यदि पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पी.ड.–3 मुकेश पुत्र जगदीश ने अपने बयानों में यद्यपि यह कथन किया है कि कृष्ण के पैसे रामकेश में आते थे, उनमें बात बढ गई, फिर हाथापाई हो गई, किन्तु उसके उक्त कथन की पुष्टि गवाह पी.ड.–2 मुकेश कुमार मीणा पुत्र शंकर लाल मीणा, निवासी बिराजपुरा जिसका, घटना के समय उसके साथ होना बताया गया है, ने अपने बयानों में नहीं की है, क्योंकि उसने अपने बयानों में वहां मात्र गाली–गलौच होना कथन किया है। गवाह पी.ड.–4 रामकरण, जिसकी घटनास्थल पर दुकान होना बताया गया है, ने भी अपने बयानों में गाडी से 3–4 लडको का उतरकर ढाबे पर बैठना, वहां झगडा नहीं होना, मोटरसाईकिल पर आने वालों के बीच में कोई वार्तालाप नहीं होना, बोलेरो वालों का उसके सामने चला जाना कथन किया है। गवाह पी.ड.–5 हनुमान सहाय जिसका ढाबे पर काम करना बताया गया है, उसने भी अपने बयानों में बोलेरो एवं मोटरसाईकिल वालों के बीच कोई

(Uploaded on 11/12/2025 at 01:17:22 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:16:53 AM)

बात हुई हो तो उसे पता नहीं होना एवं उसका गाडी में तोडफोड होने के बाद बाहर निकलना कथन किया है, गवाह पी.ड.–7 रामगोपाल जिसकी घटनास्थल पर शराब की दुकान होना बताया गया है, उसने भी अपने बयानों में कोई घटना नहीं देखना कथन किया है, जिससे ढाबे पर परिवादी पक्ष के साथ मारपीट होने बाबत् अभियोजन कहानी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाई है।

12. हस्तगत प्रकरण में ढाबे से 02 किलोमीटर आगे प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा अपनी बोलेरो से जानबूझकर मृतक कृष्ण कुमार एवं उसके साथियों की मोटरसाईकिल के टक्कर मारने बाबत् अभियोजन कहानी का प्रश्न है तो उक्त अभियोजन कहानी के संदर्भ में यद्यपि गवाह पी.ड.–2 मुकेश कुमार मीणा पुत्र शंकर लाल मीणा एवं पी.ड.–3 मुकेश पुत्र जगदीश ने अपने–अपने बयानों में, रामकेश द्वारा बोलेरो गाडी चलाते हुए उनकी मोटरसाईकिल के टक्कर मारना कथन किया है, किन्तु उनके उक्त कथनों की पुष्टि उनके पुलिस बयान प्रदर्श डी.–1 एवं प्रदर्श डी.–2 से नहीं हुई है, क्योंकि उसमें उन्होंने मुकेश नाई द्वारा गाडी चलाना एवं उन्हें टक्कर मारना कथन किया है। हस्तगत प्रकरण में इसी प्रकार वक्त घटना रामकेश द्वारा गाडी चलाने बाबत् अभियोजन कहानी की पुष्टि गवाह पी.ड.–19 राजपाल सिंह जो कि अनुसंधान अधिकारी है, उसके बयान से भी नहीं हो पाई है, क्योंकि उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान में, रामकेश का वाहन चालक होना प्रकट नहीं हुआ था, इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह पी.ड.–2 मुकेश कुमार मीणा पुत्र शंकर लाल मीणा एवं पी.ड.–3 मुकेश पुत्र जगदीश ने अपने–अपने बयानों में घटनास्थल पर वक्त घटना अंधेरा होना एवं लाईट नहीं होना कथन किया है एवं गवाह पी.ड.–19 राजपाल सिंह ने भी अपने बयानों में घटनास्थल पर लाईट नहीं होना स्वीकार किया है, जिससे वक्त घटना, घटनास्थल पर लाईट नहीं होने से अंधेरा होना प्रकट होने से गवाहान द्वारा रामकेश को बोलेरो चलाते देखने की बात युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाती है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों गवाहान ने न्यायालय के समक्ष

(Uploaded on 11/12/2025 at 01:17:22 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:16:53 AM)

हुए अपने–अपने बयानों में प्रत्यर्थी–अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र लल्लूराम के संदर्भ में कोई कथन नहीं किया है।

13. गवाह पी.ड.–2 मुकेश कुमार मीणा पुत्र शंकर लाल मीणा ने अपने बयानों में घटना के 15–20 मिनट बाद घटनास्थल पर पुलिस का आना एवं उन सभी को उठाकर लवाण अस्पताल ले जाना, उसका होश में होकर, पुलिस वालों के पूछने पर उन्हें सारी घटना बताना कथन किया गया है, गवाह पी.ड.–3 मुकेश पुत्र जगदीश ने भी अपने बयानों में एस.एम.एस. अस्पताल में उसे होश आने पर कृष्ण कुमार एवं उसके घरवालों को सारी घटना की जानकारी देना एवं उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलना भी कथन किया गया है, जिससे उनके कथनों से दुर्घटना के पश्चात् घटनास्थल पर पुलिस का आना एवं उन्हें अस्पताल ले जाना, उनके द्वारा पुलिस व परिवारवालों को सम्पूर्ण घटना की जानकारी देना एवं उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलना आदि प्रमाणित होता है, किन्तु प्रस्तुत मामले में परिवादी पक्ष की ओर से रिपोर्ट प्रदर्श पी.–1 घटना के तुरंत बाद दर्ज नहीं करवाकर 48 घंटे बाद दर्ज करवाई जाने से एवं उसे देरी से प्रस्तुत करने का कोई संतोषजनक कारण अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं करने से अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता के प्रति एक सन्देह उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारी विनम्र राय में यदि वास्तव में मृतक एवं आहतगण की मोटरसाईकिल को बोलेरो चालक द्वारा टक्कर मारी गई होती तो आहतगण द्वारा, पुलिस के मौके पर आने पर अथवा अस्पताल में आने पर रिपोर्ट दर्ज करवायी गई होती, उनके द्वारा 48 घण्टे बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी जाती।

14. हस्तगत प्रकरण में इसी प्रकार मेडिकल रिपोर्ट से भी अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि प्रथम तो मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श डी.–5 में आर.टी.ए. (रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट) शब्द अंकित किया गया है एवं गवाह पी.ड.–6 डॉक्टर सुमन्त दत्ता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में प्रदर्श पी.–7 में आयी समस्त चोटें, यदि कोई व्यक्ति स्पीड से मोटरसाईकिल से स्लिप होकर गिरे तो आना स्वीकार किया है। गवाह पी.ड.–19 राजपाल सिंह ने भी अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि जो पुलिसकर्मी घायलों

(Uploaded on 11/12/2025 at 01:17:22 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:16:53 AM)

को अस्पताल भर्ती करवाकर आए थे, उन्होंने उनका एक्सीडेंट में घायल होना बताया था, प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी.–4 में भी मात्र मोटरसाइकिल के टायर घसीटने के निशान आना अंकित किया है, उसमें बोलेरो के टायर के निशान होने बाबत् कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Babu Sahebagouda Rudragoudar Vs. State of Karnataka reported in [(2024) 8 SCC 149]** में यह अभिनिर्धारित किया है कि:-

> "38. Further, in H.D. Sundara v. State of Karnataka, (2023) 9 SCC 581 this Court summarised the principles governing the exercise of appellate jurisdiction while dealing with an appeal against acquittal under Section 378 Cr.PC as follows:
>
> > "8. xxx xxx xxx
> >
> > 8.1. The acquittal of the accused further strengthens the presumption of innocence;
> >
> > 8.2. The appellate court, while hearing an appeal against acquittal, is entitled to re-appreciate the oral and documentary evidence;
> >
> > 8.3. The appellate court, while deciding an appeal against acquittal, after re-appreciating the evidence, is required to consider whether the view taken by the trial court is a possible view which could have been taken on the basis of the evidence on record;
> >
> > 8.4. If the view taken is a possible view, the appellate court cannot overturn the order of acquittal on the ground that another view was also possible; and
> >
> > 8.5. The appellate court can interfere with the order of acquittal only if it comes to a finding that the only conclusion which can be recorded on the basis of the evidence on record was that the guilt of the accused was proved beyond a reasonable doubt and no other conclusion was possible."
>
> 39. Thus, it is beyond the pale of doubt that the scope of interference by an appellate court for reversing the judgment

(Uploaded on 11/12/2025 at 01:17:22 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:16:53 AM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

of acquittal recorded by the trial court in favour of the accused has to be exercised within the four corners of the following principles:

(a) That the judgment of acquittal suffers from patent perversity;

(b) That the same is based on a misreading/omission to consider material evidence on record; and

(c) That no two reasonable views are possible and only the view consistent with the guilt of the accused is possible from the evidence available on record."

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

16. ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा जो निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से, हम अपील हेतु अनुमति देने का कोई कारण नहीं पाते है, अतः अपील अनुमति याचिका, अपीलार्थी–राज्य सरकार ग्रहण योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय– विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, दौसा, जिला दौसा (राज.) के द्वारा सैशन प्रकरण संख्या 31/2017, उनवानी प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम रामकेश वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 29.03.2023 की पुष्टि की जाती है।

17. इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को भिजवाई जावे।

(BHUWAN GOYAL),J **(MAHENDAR KUMAR GOYAL),J**

AKSHAY KUMAR PAREEK /51

(Uploaded on 11/12/2025 at 01:17:22 PM)
(Downloaded on 13/12/2025 at 12:16:53 AM)